प्रशापन
[signature]
29/05/2020
(सन्तोष कुमार वैश्य)
सचिव
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या-903112/2020/16-3099/12/2019

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29 मई, 2020

विषयः प्रदेश की राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में आनलाइन काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय]

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 294/संप्रपप/ई.-2(प्रशा.) 2020, दिनांक 30-04-2020 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-36450/2019-16-3099/12/2019, दिनांक 20 फरवरी, 2019 को अवक्रमित करते हुए शासन द्वारा प्रदेश की राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में आनलाइन काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

1. आनलाइन आवेदन प्रक्रियाः

(i) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ.प्र., लखनऊ द्वारा आनलाइन आवेदन का पोर्टल प्रत्येक वर्ष दिसम्बर/जनवरी माह में यथा प्रथम/द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को आगामी सत्र के आनलाइन आवेदन हेतु, प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

(ii) आनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण, वर्ग, उपवर्ग, पाठ्यक्रम ग्रुप, केन्द्र के लिए चयनित जनपद आदि समस्त विवरण आनलाइन पंजीकृत कराने होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु कम से कम 50 दिनों का समय प्रदान किया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थी की आयु, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश,परीक्षाओं का संचालन एवं प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली, 1992 (यथा संशोधित) द्वारा निर्धारित सीमा (वर्तमान में सत्र के प्रारम्भ अर्थात् 01 जुलाई को) 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए के अनुरूप होगी। प्रत्येक ग्रुप/पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता समय- समय पर जारी होने वाले शासनादेश के अधीन होगी।

(iv) आनलाइन आवेदन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पंजीकरण

शुल्क (वर्तमान में सामान्य व पिछड़ा वर्ग से रू. 300/- व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग से रू. 200/- को आनलाइन पोर्टल पर जमा किया जाना आवश्यक होगा।

(v) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये पंजीकरण शुल्क को किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(vi) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ.प्र. विभिन्न ग्रुप/पाली में आवेदन कर सकने की संख्या का निर्धारण करेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन हेतु निर्धारित परीक्षा ग्रुप/पालियों में एक से अधिक आवेदन करने (चाहे उनके ग्रुप भिन्न ही क्यों न हो) की दशा में अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे जिस पर अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

2. **प्रवेश परीक्षा:**

संयुक्त प्रवेश परीक्षा आनलाइन/आफलाइन विधि से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित की जायेगी। प्रवेश परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के कुल 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 04 अंक दिये जायेंगे। उत्तर के चारों विकल्पों में सही उत्तर केवल एक ही होगा। एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने पर उस प्रश्न का उत्तर अमान्य माना जायेगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर एक निगेटिव अंक दिया जायेगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर न देने पर निगेटिव अंक नहीं दिये जायेंगे। काउन्सिलिंग हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा में सामान्य पुरूष वर्ग हेतु न्यूनतम 25 अंक तथा शेष वर्गों हेतु न्यूनतम 1 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रवेश परीक्षा के आधार पर काउन्सिलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की परिषद द्वारा ग्रुपवार यूनिक योग्यताक्रम सूची बनायी जायेगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्रुपवार परीक्षा तिथि, समय, अवधि एवं पाली का विवरण घोषित किया जायेगा।

3. **आरक्षण:**

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लागू शैक्षिक भर्ती हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण के नियम लागू होंगे।

4. **प्रवेश वरीयता:**

(i) जिन्होंने प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से उत्तीर्ण हों अथवा उत्तर प्रदेश के निवासी हों अथवा केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की संतान, जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय में हो।

(ii) उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं तो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिये जाने पर विचार किया जायेगा। यदि कोई विदेशी छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाता है तो उसके प्रवेश हेतु उसके देश द्वारा नामित/संस्तुत होना तथा केन्द्र सरकार द्वारा उसके प्रवेश हेतु नामित/संस्तुत/सहमति होना आवश्यक है।

5. सीटों का आवंटनः

किसी भी ग्रुप में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए उस ग्रुप की वरीयता सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के विकल्प के संस्था व पाठ्यक्रम के लिए यह परीक्षण किया जायेगा कि क्या उसकी मेरिट एवं आरक्षण वर्ग के आधार पर उसके द्वारा दिये विकल्प में सीट आवंटित की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है, तो उसके द्वारा वरीयताक्रम में चिन्हित अगले विकल्प की संस्था व पाठ्यक्रम के लिए यही प्रक्रिया दोहरायी जायेगी, जब तक उसके द्वारा दिये गये समस्त विकल्प समाप्त न हो जायें अथवा उसे कोई आवंटन प्राप्त न हो जाये।

तत्पश्चात अगले वरीयताक्रम के अभ्यर्थी के लिए यही प्रक्रिया दोहरायी जायेगी और इसी क्रम में समस्त अभ्यर्थियों के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटों का आवंटन किया जायेगा, जब तक कि समस्त अर्ह अभ्यर्थियों की सूची/सीटें समाप्त न हो जाये।

6. स्वास्थ्यः

प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए एवं उसके शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण वह प्रोफेशन का कार्य दक्षता से सम्पन्न न कर सके। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश लेने से पूर्व चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. शिक्षण शुल्कः

राजकीय संस्थाओं हेतु शिक्षण शुल्क/छात्रावास शुल्क समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप तथा अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं का शुल्क प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, उ.प्र. के अधीन होगा।

8. काउन्सिलिंगः

(i) सत्र के लिए आनलाइन काउन्सिलिंग एवं प्रवेश हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/ नियामक संस्था द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के दृष्टिगत ही काउन्सिलिंग के चरणों की संख्या निर्धारित की जायेगी।

(ii) राजकीय तथा अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं हेतु प्रवेश क्षमता के शासनादेशानुसार तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र, द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता के आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा संस्थानवार, पाठ्यक्रमवार एवं वर्गवार सीट मैट्रिक्स तैयार की जायेगी, जिसके सापेक्ष आवंटन किया जायेगा एवं सीट मैट्रिक्स परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

(iii) अभ्यर्थी को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन आनलाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम, दिये गये विकल्पों व आरक्षण के आधार पर किया जायेगा। शासनादेश संख्या 2225/सोलह-प्रा.शि.-3-2012, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012, शासनादेश संख्या-1765/सोलह-प्रा.शि.-3-2013-15(58)/2009, दिनांक 08.08.2013 एवं शासनादेश